रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 850] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2009/ज्येष्ठ 6, 1931
No. 850] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2009/JYAISTHA 6, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2009

का.आ. 1356(अ).— पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट की गई प्रयोगशालाओं को, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रुप में और केन्द्रीय सरकार अथवा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा वायु, जल, मृदा अथवा अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए नियमों और व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषणकर्ता के रुप में उक्त तालिका के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है, और उस प्रयोजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 18 जुलाई, 2007 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1174 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामश: -

उक्त अधिसूचना की संलग्न तालिका में,

(i), -- क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी, नामश: -

तालिका

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
5	मैसर्स विम्टा लेब लिमिटेड 142, आई डी ए, फेस -II, चेरलापल्ली हैदराबाद -500051	(4) श्री ई.श्याम सुंदर (5) डॉ.एम.वी.आर.एन.अचारयुलु (6) श्री ए.श्रीनिवास अदित्या	27.05.2009 से 26.05.2014"

(ii) क्रम संख्या 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी, नामश: -

"72	मैसर्स इंटरनेशनल स्कूल इन इनवायरमेटल मैनेजमेंट स्टडिज़ "अरुनधती" बंगलो, ऑपोज़िट सहयोग नगर, एम एस ई बी रोड, विश्रामबाग - 416415	(i) डॉ. बी.सुब्बाराव (ii) डॉ. एस.वी.रानाडे (iii) प्रो. जे.एम.गाडगिल	27.05.2009 से 26.05.2014"
73	मैसर्स माइक्रो टेस्टिंग लेब्स #2-19-104/1/4, दूसरा तल, बैंक कालोनी, कल्याण पुरी, ऑपोज़िट सर्वे ऑफ इंडिया, उप्पल हैदराबाद - 500039	(i) चौ. रामाकृष्णा (ii) डॉ. सुनीथा मेहरोत्रा (iii) पी. राजेश्वरी	27.05.2009 से 26.05.2014"

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण मे दिनांक 18 जुलाई, 2007 की संख्या का.आ. 1174 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 13 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं.का.आ. 1539 (अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 की सं.का.आ 1811 (अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008 की सं.का.आ. 55 (अ), दिनांक 4 मार्च, 2008 की सं.का.आ. 428 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2008 की सं. का.आ. 865 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2008 की सं.का.आ. 1894 (अ) तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2008 की सं.का.आ. 2728 (अ) के तहत संशोधित की गई थी ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2009

S.O. 1356(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognises the laboratories specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act and the rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under Section 11 of the said Act, for a period specified in column (4) of the Table aforesaid, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :-

In the Table appended to the said notification,

(i), -- for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substances, namely :-

TABLE

Sl. No.	**Name of the Laboratory**	**Name of the Government Analyst**	**Recognition with effect from and valid up to**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
5	M/s VIMTA Labs Limited 142, IDA, Phase-II Cherlapally Hyderabad-500051	(1) Mr. E. Shyam Sunder (2) Dr .M.V.R.N. Acharyulu (3) Mr. A. Sreenivas Aditya	27.05.2009 to 26.05.2014"

(ii) after serial number 71 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :

"72	M/s. International School in Environmental Management Studies, "Arundhati" Banglow, Opp. Sahayognagar, MSEB Road, Vishrambag-416415.	(1) Dr. B. Subba Rao (2) Dr. S.V. Ranade (3) Prof. J.M. Gadgil	27.05.2009 to 26.05.2014
73	M/s Micro Testing Labs #2-19 104/1/4, 2nd Floor, Bank Colony, Kalyanpuri, Opp to Survey of India, Uppal, Hyderabad-500039	(1) Ch. Ramakrishna (2) Dr. Sunitha Mehrotra (3) P. Rajeswari	27.05.2009 to 26.05.2014"

[F. No. Q-15018/7/2003-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

IndiaCode

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently was amended vide notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, S.O.1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O.55(E), dated 9th January, 2008, S.O.428(E), dated 4th March, 2008, S.O.No.865(E) dated the 11th April, 2008, S.O.No.1894(E) dated 31st July,2008 and S.O.No.2728(E) dated 25th November, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.